न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1157 / 2024
अनवान : –

1. भंवरलाल पुत्र फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महेन्द्र पुत्र फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. बिरजलाल पुत्र फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
3. महावीर प्रसाद पुत्र फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
4. हरिराम पुत्र फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
5. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
6. लिछमा देवी पुत्री फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
7. सीता देवी पुत्री फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
8. मैना देवी पुत्री फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
9. विद्या देवी पुत्री फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
10. विमला रानी पुत्री फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
11. सन्तोष पुत्री फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
12. कमला पत्नी फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 02/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 333 / 342 के ख0न0 874 की 10.5850 हैक्ट भूमि में से 633 / 10585 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 71 / 71 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 633 / 5819 हिस्सा भूमि फकीराराम पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के पिता फकीराराम पुत्र चुनीराम का स्वर्गवास हो चुका है। फकीराराम पुत्र चुनीराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की बहिने है व प्रतिवादी संख्या 12 फकीराराम की पत्नी है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:50:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 1 ता 5 काबिज है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 12 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण फकीराराम, वारिसान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के पिता फकीराराम पुत्र चुनीराम का स्वर्गवास हो चुका है। फकीराराम पुत्र चुनीराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 12 फकीराराम की पत्नी है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राजहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:50:07 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसील नोहर के खाता स0 333/342 के ख0न0 874 की 10.5850 हैक्ट भूमि में से 633/10585 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 71/71 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 633/5819 हिस्सा भूमि फकीराराम पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के पिता फकीराराम पुत्र चुनीराम का स्वर्गवास हो चुका है। फकीराराम पुत्र चुनीराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 12 फकीराराम की पत्नी है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक फकीराराम के अन्य कोई भी वारिसा नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 333/342 के ख0न0 874 की 10.5850 हैक्ट भूमि में से 633/10585 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 71/71 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 633/5819 हिस्सा भूमि में फकीराराम पुत्र चुन्नीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल रा॰प्र॰से॰)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:50:07 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1157 / 2024

अनवान : –

1. भंवरलाल पुत्र फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महेन्द्र पुत्र फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. बिरजलाल पुत्र फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
3. महावीर प्रसाद पुत्र फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
4. हरिराम पुत्र फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
5. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
6. लिछमा देवी पुत्री फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
7. सीता देवी पुत्री फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
8. मैना देवी पुत्री फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
9. विद्या देवी पुत्री फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
10. विमला रानी पुत्री फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
11. सन्तोष पुत्री फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
12. कमला पत्नी फकीराराम जाति सैनी (माली) निवासी 4 बीकेके तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1157 सन 2024 निर्णय दिनांक – 02/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 333 / 342 के ख0न0 874 की 10.5850 हैक्ट भूमि में से 633 / 10585 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 71 / 71 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 633 / 5819 हिस्सा भूमि में फकीराराम पुत्र चुन्नीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/01/20[illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:50:07 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर